न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय,देहरादून।

प्रकीर्ण माध्यस्थम् वाद संख्या 75 वर्ष 2022

Uttarakhand Jal Vidut Nigam Limited .

Vs

M/S KIDCO-NACC Consortium & Others.

दिनांक 11.05.2023

पुकार लगाया गया। प्रार्थी/याची के विद्वान अधिवक्ता श्री एस. सी. विरमानी एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता श्री टी. एस. बिन्द्रा उपस्थित।

2. इस आदेश से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र कागज संख्या 6ग2, अन्तर्गत धारा 34 (3) माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 (इसे आगे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) का निस्तारण किया जा रहा है।

3. संक्षेप में प्रार्थना–पत्र 6ग2 के कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं विपक्षी के मध्य अनुबंध संख्या 03/EE/EDD/SHP 2010-2011, निष्पादित हुआ था। इस अनुबंध के सम्बंध में दोनों पक्षों के मध्य विवाद उत्पन्न होने पर मामला विद्वान एकल मध्यस्थ न्यायामूर्ति श्री एम. एम. घि ाल्डियाल को संदर्भित हुआ। विद्वान एकल माध्यस्थम द्वारा दिनांक 20.04.2022 को माध्यस्थम् पंचाट (इसे आगे संक्षेप में 'अधिनियम' कहा गया है) पारित किया गया। प्रार्थी उत्तराखंड में अव्यस्थित हाईड्रो पॉवर प्लान्ट्स का संचालन करता है तथा नये पॉवर स्टेशन भी स्थापित करता है। वर्ष 2022 की गर्मियों में उत्तराखंड राज्य में विद्युत आपूर्ति की मांग बढ़ने के कारण कार्य अधिकता हो गयी। इसी प्रकार, जून 2022, में मानसून के कारण हाईड्रो पॉवर प्लान्टस के संचालन में कठिनाई उत्पन्न हुई। दिनांक 27.06.2022 को उप–महाप्रबंधक द्वारा प्रश्नगत माध्यस्थम् पंचाट के सम्बंध में अपनी टिप्पणी तैयार कर मैनेजिंग डायरेक्टर को स्वीकृति हेतु भेजा गया। दिनांक 02.08.2022 को सीनियर लॉ आफिसर ने सलाह दी कि प्रश्नगत माध्यस्थम् पंचाट के सम्बंध में माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन आपत्ति प्रस्तुत किया जाए। दिनांक 08.08.2022 एवं दिनांक 09.08.2022 को अवकाश था। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.08.2022 को आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु तैयारी की गयी इसके पश्चात् दिनांक 11.08. 2022 से दिनांक 15.08.2022 तक न्यायालय में अवकाश था, जिस कारण नियत समय अवधि में धारा 34, माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अधीन आपत्ति/ आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर विलम्ब कारित नहीं किया गया है, यदि विलम्ब को

क्षमा नहीं किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगा। अतः माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3) के अधीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने में दिनांक 20.07.2022 से दिनांक 15.08.2022 तक हुए विलम्ब को क्षमा कर अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को सुनवाई हेतु गृहीत किया जाए।

4. प्रार्थी के उक्त प्रार्थना–पत्र के विरूद्ध विपक्षी द्वारा आपत्ति कागज संख्या 13सी2 प्रस्तुत करके प्रार्थना–पत्र के कथनों से इंकार किया गया तथा कथन किया गया कि प्रार्थी निगम के पास अलग से विधिक अनुभाग है, जो विधिक मामलों की पैरवी करता है। विधिक मामलों के अधिकारी विद्युत उत्पादन में भाग नहीं लेते है। विलम्ब हेतु प्रार्थी द्वारा दर्शित आधार युक्तियुक्त एवं पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी के पास प्रश्नगत माध्यस्थम् पंचाट को चुनौती देने के लिए कोई आधार नहीं है। प्रार्थी द्वारा विलम्ब को स्पष्ट करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं बताया गया है। प्रार्थना–पत्र के कथनों से दर्शित होता है कि यह प्रार्थना–पत्र विचार करने के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब जानबूझकर कारित किया गया है। यह कहना गलत है कि यदि विलम्ब को क्षमा नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूरणनीय क्षति कारित होगी। अतः प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाए।

5. सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6. माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (3), अधिनियम की धारा 34 (1) के अन्तर्गत माध्यस्थम् पंचाट के विरूद्ध आवेदन प्रस्तुत करने हेतु परिसीमा अवधि का उपबंध करता है। इस धारा के अनुसार–

> ''अपास्त करने के लिए कोई आवेदन, उस तारीख से जिसको आवेदन करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम् पंचाट प्राप्त किया था, या यदि अनुरोध धारा 33 के अधीन किया गया है तो उस तारीख से, जिसको माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा अनुरोध का निपटारा किया गया था, तीन मास के अवसान के पश्चात नहीं किया जाएगा :
>
> पंरतु यह कि जहां न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक उक्त तीन माह की अवधि के भीतर आवेदन करने से पर्याप्त कारणों से निवारित किया गया था तो वह तीस दिन की अतिरिक्त अवधि में आवेदन ग्रहण कर सकेगा किन्तु इसके पश्चात् नहीं।''

7. इस प्रकरण में विद्वान माध्यस्थम् अधिकरण द्वारा दिनांक 20.04.2022 को प्रश्नगत माध्यस्थम् पंचाट पारित किया गया। इस प्रकार, प्रार्थी को अधिनियम की धारा 34 (1) के अधीन आवेदन/याचिका 90 दिन की समय–अवधि के भीतर अर्थात् दिनांक 19.07.2022 तक प्रस्तुत

करना था, परन्तु याची द्वारा 28 दिन विलम्ब से दिनांक 16.08.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना–पत्र 6ग2 प्रस्तुत करके विलम्ब को क्षमा करने हेतु याचना कारित किया है।

8. विलम्ब के सम्बंध में प्रार्थी का कथन है कि आवेदक श्री सतीश कुमार सिह, प्रार्थी निगम के उप–महाप्रबंधक (सिविल) के पद पर कार्यरत है। वर्ष 2022 में गर्मियों में विद्युत उत्पादन की मांग बढ़ने के कारण तथा जून 2022 में मानसून प्रारम्भ होने के कारण वे निगम के विभिन्न हाईड्रो पॉवर प्लान्टस की देखरेख में व्यस्त हो गए तथा दिनांक 27.06.2022 को देहरादून में आये तथा उसी तिथि को प्रश्नगत पंचाट के विरूद्ध अधिनियम की धारा 34 के अधीन आपत्ति प्रस्तुत करने की टिप्पणी अंकित करते हुए स्वीकृति के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर को अपनी टिप्पणी प्रेषित किए। दिनांक 02.08.2022 को सीनियर लॉ आफिसर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु सुझाव दिया गया तथा दिनांक 08.08.2022 को इस सम्बंध में आपत्ति करने हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई। दिनांक 08.08.2022, दिनांक 09.08.2022 तथा दिनांक 11.08.2022 से दिनांक 15.08.2022 तक अवकाश था, जिसके कारण नियत अवधि में आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

9. विपक्षी द्वारा प्रार्थी के कथनों से इंकार किया गया है, परन्तु प्रार्थना–पत्र 6ग2 शपथपत्र 7ग2 से समर्थित है। प्रार्थना–पत्र के कथनों से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी निगम के अधिकारी/कर्मचारी वर्ष 2022 की गर्मियों एवं मानसून में विद्युत उत्पादन में व्यस्त होने के कारण नियत समय के अधीन अधिनियम की धारा 34 के अधीन आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सके। विलम्ब के सम्बंध में प्रार्थना–पत्र में दर्शित कारण युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं।

10. विपक्षी द्वारा न्याय दृष्टांत मध्य प्रदेश राज्य प्रति फेरूलाल, MANU/SC/078/2022 प्रस्तुत किया गया और तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि व्यवस्था के अनुसार विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता है।

11. उक्त न्याय दृष्टांत के परिशीलन से दर्शित होता है कि उक्त मामलें में 663 दिन विलम्ब से अपील/याचिका प्रस्तुत किया गया था, जबकि इस मामले में मात्र 28 दिन के विलम्ब से प्रार्थना–पत्र/याचिका प्रस्तुत किया गया है तथा विलम्ब हेतु दर्शित कारण पर्याप्त एवं युक्तियुक्त हैं। अतः उक्त न्याय दृष्टांत में प्रतिपादित विधि व्यवस्था इस मामले में लागू नहीं होती है।

12. उपरोक्त परिचर्चा के पश्चात इस न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (1) के अधीन प्रार्थना–पत्र 28 दिन विलम्ब से

प्रस्तुत करने के सम्बंध में युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दर्शाया गया है। अतः यह प्रार्थना–पत्र कागज संख्या 6ग2 स्वीकार होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लि., द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या 6ग2 अन्तर्गत धारा 34 (3), माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार विद्वान एकल माध्यस्थम् द्वारा पारित प्रश्नगत पंचाट दिनांकित 20.04.2022 को चुनौती देते हुए अधिनियम की धारा 34 (1) के अधीन प्रस्तुत आवेदन–पत्र में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है। इस प्रकीर्ण वाद की कार्यवाही समाप्त हुई।

पत्रावली दिनांक 12.05.2023 को अंगीकरण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पेश हो।

(आशुतोष कुमार मिश्र)
अपर जिला न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय,
देहरादून।